

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण नव चेतना केन्द्र 10 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001 website-www.sudaup.org

पत्रांक-1797/64/दस/2012-11

दिनांक- 13.9.13

सेवा में

जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण. जनपद-गोण्डा, कन्नौज, मिर्जापुर, इटावा, कानपुर नगर, मुरादाबाद तथा लखीमपुर खीरी।

विषय :आसरा योजनान्तर्गत सी० एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम एवं जिला नगरीय विकास अभिकरण के मध्य एम0ओ0यू0 के संबंध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या—1359 / 69—1—13—09 (आसरा) / 2013, दिनांक 9.09.2013 (प्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की गयी हैं। इस शासनादेश के बिन्दु संख्या-14 के अनुसार धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व संबंधित जिला नगरीय विकास अभिकरण एवं निर्माण इकाई सी० एण्ड डी०एस० के मध्य रू० 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एम०ओ०यू० कराया जाना आवश्यक है। एम0ओ0यू० के ड्राफ्ट की प्रति संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित है कि इसे स्थानीय स्तर पर लीगल वैट करवाते हुए एम0ओ0यू0 करवाना सुनिश्चित् कराने का कष्ट करें। एम०ओ०यू० तथा इसके संलग्नकों की प्रति सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर भी उपलब्ध है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में कृपया आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय.

संलग्नक-यथोक्त

निदेशक

## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Now, this Memorandum of Understanding (MOU) executed between the parties hereto witnesses as follows:

- 1. This MOU will be effective from ......when it was orally agreed by the client and C & DS.
- It is understood that the ceiling cost of the Houses shall be as per sanctioned DPR (estimates) as mentioned in the work order and subject to its revision, if any, made by the State Govt. according to price escalation and other parameters.
- 3. It is understood that the C & DS shall start actual construction work only after the Client has (i) communicated in writing to the C & DS administrative and financial sanction of the preliminary estimate. (ii) delivered clear possession of the land for the Project and (iii) within thirty (30) days of the issue of letter of intent by the Client, deposited with C & DS sufficient advance being not less than 25% of approx. cost. The C & DS shall start the construction work within 30 days with effect from the last date of the three dates as above.
- 4. Since the project completion time is about 15 months hence fund utilization certificate with accordingly physical progress must be submitted to the client within six month of the the first installment failing which for any cost escalation client will not be responsible.
- 5. It is understood that the time of allotment of work, the flow of funds shall be mutually decided in accordance with the expected/desired progress of work by the Client and as per guidelines issued by the State Govt. & sanctioned issued by the State Govt. The issue of letter of intent to the C & DS will be deemed as the allotment of work to the C & DS.

#### 6. CENTAGE CHARGES-

Centage charge @ 12.5% of the actual cost will be charged by C & DS in accordance with U.P. Government order NO. A-2-87/10-07-17(4)/75 dated 27-02-1997, a copy of which is enclosed hereto as Annexure-II, and will form a part of this MOU.

 The Client shall provide land for construction of houses required by C & DS, free of cost.

#### 8. PROJECT COST

The estimated rate shall be applicable only when the actual specifications of the work strictly conform to specifications on which such estimated rate are based.. The labour cess as applicable shall be borne by the client.

### 9. <u>TIME OF COMPLETION</u>

- (a) The C & DS shall build and completely finish the house within 15 months from the date of start as per clause-3 and subject to cash flow as per clause-5 above. Unless prevented by any labour strike, fire accident, earth quake, mob-violence, attach from the air of any other majeure, disturbances (force majeure) or any other reasons beyond the control of the C & DS. In case of any such event, C & DS will obtain written permission from the Client for extension of time and completely finish the project within extended time.
- (b) The C & DS shall also be entitled to get compensation for losses/extra expenditure, if any, incurred due to damages on account of causes mentioned above, if such cause(s) were not beyond the control of the Client. The decision of the Project Director, District Development Agency and the Managing Director, C & DS as to whether the cause(s) were not beyond the control of the Client and as to the amount of compensation for losses/extra expenditure shall be binding on the Client.

## 10. INSURANCE

In case the Client desire, the C & DS shall make insurance of property against damages, accidents, fire, riots or any act of 'God' and charges incurred for this purpose will be borne by the client.

## 11. ACCOUNT

The periodical accounts of the C & DS are being audited by statutory auditors (Charted Accountants). The C & DS shll submit to the Client such periodical audited accounts of the unit relating to the work. The Client shall also have an access to the books of accounts

of the C & DS in case, the Client deems it necessary. Project wise separate Accounts shall be maintained by the C &DS.

# 12. INSPECTION OF WORK AND QUALITY CONTROL

It is understood that the Client or any person authorized by it/him not below the rank of Assistant Engineer may inspect the construction work at any time to satisfy himself that the works are being constructed by the C & DS as per drawing and specifications as provide in the estimate. If any defects or variation, made without the written request of the Client, are found during the inspection, they will have to be rectified by the C & DS at its own cost on written notice by the Client within 30 days (thirty days) from its receipt.

# 13. COMPENSATION FOR DAMAGES

It is understood that the C & DS shall remain liable to and shall indemnify the Client in respect of losses, damages or compensation arising out of any accident of injury, sustained by the Client or by any workman on the employment of the C & DS while in or upon the said works or the same arising out of any act, default or negligence, error in judgment on the part of the C & DS its employees or agents subject to the determination of the compensation or damages by the competent authority as defined in the relevant law.

# 14. SETTLEMENT OF DISPUTES

It is understood thet any dispute or differences arising out of this Memorandum of Understanding shall be settled in accordance with Govt. Order No. 156/चौवालिस-2-156/91-92 dated 5-02-1992, a copy of which is enclosed hereto as Annexure-III, and will form a part of this MOU.

# 15. INSPECTION BY TECHNICAL AUDIT CELL

The work during progress and after completion shall be subject to technical examination by the Technical Audit Cell. Any defects of material or workmanship pointed out by them and established as such, shall be rectified by the C & DS at their own cost. Any recoveries or reduction of rates considered necessary by Technical Audit Cell shall be recovered from C & DS, even if work has been accepted by the Client.

#### 16. MEASUREMENTS

The nominated representative of the Client and C & DS shall jointly observe initial cross-section of the site where earthwork is required to be executed and final cross-section after completion of work. The quantity of earthwork shall be calculated on that basis. These cross sections shall be entered in the measurement book of C & DS and shall be signed by the authorized representative of C & DS and the Client.

In witness whereof the parties hereto set their hands through their authorized representatives on this deed and affixed their seals on the date, month and year first above written.

FOR AND ON BEHALF OF THE CLIENT FOR AND ON BEHALF OF C & DS, U.P. Jal Nigam

IN THE PRESENT OF WITNESS	IN THE PRESENT OF WITNESS
1	1
2	2

# Annexure-I

क०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	स्वीकृत आवासों की संख्या	लागत(रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6

शाहरू सम्बाद, त्तियः, विस्ति अस्य अस्ति वित्रेशः उत्तार तप्रदेश कार्ति प्रदेश

गाव प्रमुख विभिन्न गाउँ भोक निवाल / सिंदाई दिना, ... JATR 554 (1955)

१८ । निरंक एवं कृत्य अभिन्त्तर, मामेन अधिक जिल्ला

्ति प्रश्निक कुन्य क्षेत्रक वित्तिक हैं 7 प्रवरी, 1997

कृतिमान क्रिक्त क्षेत्र हैर । "

मुक्र आपते यह हिने का निदेश हुआ है कि विता लेखा है अनुभान- 2 के

गासनादेश सिल्या स्टिटे जैट्टिए/दर्स 17141/75, सिंदिशक । अवटूबर 1975 एवं शासनादेश तिश्वा-ए-2-2201/देत-1714भ/75, दिनीक 13 जुनाई 1976 के अन्तर्गत गेर तरकारी-संस्थाओं, स्थानीय निकायों और वा गिणियक विमागों के कार्य के निये, कार्य की तीर का 15 प्रतिमत को दर से प्रतिमत प्रभार अतेन्ट्रेज यार्जेज मिर्याहित हैं। सार्वजनिक उपकृतीं स्व निगमों से भी उनके द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जा रहे राजकीय कामी पर प्रतिकात प्रभार कार्य की कुल नागत में 5 प्रतिकात कभी करने हे बाद उपलब्ध लागत र 15 प्रतिवंत अनुमन्य किया जाता है। ग्रामीण अभियंत्रण तेपादारा कृषि उत्पादन जासु द्राखा के समस्त विभाग है तम्बन्धित डिप्राजिट के रूप में किये बाने वाते काखीं, पर प्रतिक्त प्रभार नहीं लिया जाता है है है

- भारत ने विद्यार पराना यह निर्णय लिया है कि प्रतिवास प्रभार अब कार्य तागत को 12-5 प्रतिस्व की दर से मुस्ल किया जाय स्व ग्रामीण में मिलंत्रण तेवा दारा विमा जिट के तम में दिये को प्रहे समस्तारा जकीय, कार्या पर इसी देश ते प्रतिका, प्रभा व्युत किया बाया इतः प्रतिकृत् सभारे हो। प्रतिकृत आ डिट एक पंजाउनका सहरू मुख्यिलत हैं, लेगा बरुका विमालन आक्षायेवता मुतियर निम्मृतिशित हर ते होना :-

पूर्व परिकालतार सर्व व्यक्तिवार अनुमान अप्रार स्थिक अनुमानों हे व्यय तहित। इंडिक्टान की यद में डाला जाएगर ।

पनाप्रच वाक युवर्पीय प्रोजेक्ट्रस कारवारेशन लिय लखनऊ

लाम्ब्री का निक्यादन नेबा परीका जिन मामलों में केवर प्रारंगिक परियोजनाएँ और अपूना नितः प्राक्ता बताचे लागी आक्रवान की मद में डालां करणी। सार्वजनिक उपक्रमाँ एवं जिन्मसँ अस्य अन्य निमाण इकाइयों /स्वायस्य-भासी संस्थाओं द्वारा शातकीय कार्च डिप्गाविट के स्था में किये जाने पर क्षेन्टेज उन्हें पूर्व की भाति दुल वागत में से लागत का 5 प्रतिशत प्रदाने के बाद उपलब्ध वायत पर 12-5, प्रतिका श्रेतुमन्य होना ।

ये आदेश तर्हका विक प्रमार्थ से लागू होंगा होते आगुण कि विरतीं य तथी कृति । नेनी की को हुकी है, पुनरोद्धादित । Reoper ! नहीं होंने प्रान्तः पटि पुनर हिल्ले का नेन जिल्ले नागत में पुदि हों रही है, हुन: ---स्योकृति हेत् भारत-/तहन अधिकारी को भारतनादेश के निर्मान की तिथि है बाट प्राप्त होते हैं बहुतन पर हते सामत की फलाईड पर प्रतिस्त प्रमार है। गतन्त्रेष्ट में लिखा दर गर अनुसन्य होगा। विक्रीय निस्य तेष्ट भेत्रवक तेची यन यथोतमय हिंदे जासी ।

हमा इस तंबंध में तेम चिता निर्देश अपने अधी नत्य संबंधित अधिकारियाँ हो अधिनम्ब प्राप्तित असे का उक्ट करें।

। शांस अवान ।

-87 शे अ/दुत-97-तद्दिनां क प्रतिनिषे निम्नानिस्ति हो तूबनार्थ रवे आवामक अर्थवाही हें

प्राचित्र कराते के क्षेत्र में के क्ष्यारी प्राच्या उठपूठ, ज्याह बार । क्ष्रिक करात के क्ष्रिक के के क्ष्रिक के क्ष्रिक के क्ष्रिक के क्ष्रिक के क्ष्रिक के क्ष्रिक

अनुका तानिय र्

3/14/12

महाप्रवासाय ह रूर्णांट प्रोनित्स अस्पोरशन लिह लखन्त,

संस्या - 156/बोबांतिस-2-156/91-92

मेपज .

Mi

1

डा० विजय कृष्य स्वयंत्रा. मुक्त स्वयंत्र उत्तर प्रदेश सायन।

सेवा में.

शासन के समस्य माम सचिव/सचिव, उत्तर १९४ सम्बन्धः

सार्वजीनक उत्तम अनुसाग-ः

तसन्दः दिनांकः 5 फरवरी, 1992

विषय :

सार्वजिनकं उत्तमों/निगमों एवं शासन के विमिन्न विभागों और सार्वजिनक निगमों/ उपकर्मों के जापसी विवादों के निराकरण हेतु सीमीत का गठन।

महोदय.

सार्यजनिक होए । उपम सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मृमिका अदा करते हैं। इन निगमों/उपक्रमों एवं शासन के विमिन्न विभागी के मध्य समय-समय पर विवाद होते रहते हैं, जिनका प्रीतकृत प्रमाव इनकी उपगीलायों पर पहल है, यह भी देखा गया है कि सार्वजनिक निगमों/ उपक्रमों में आपस में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अधिकांशत विवाद राजस्व देशों, विद्युत, एक्साइन अर्थि समस्थाओं को तैकर होते हैं।

- 2- दोनों ही शिशतियों में निगम/उपक्रम अधवा सम्बन्धित विमाग में उत्पन्न होने वाले विवादों के निसकरण हेल् न्यायांत्रिकाण पर न्यायालयों का सहारा लिया जाता है। न्यायालयों/न्यायांगकाणों में विवादों के जाने से न नेवा कितीय हानि होती है, बीच्ड विवादों के निस्तारण में काफी विनाव होता है। यह शक्तन एवं उपक्रम दोनों के लिये हानिप्रद है।
- उ- उन्तः उन्त तथा का ध्यान में सबते हुए राज्य पत्त महोदय साविधिक निगमों से संबोधन अधिनियमों/नियमों तथा कथ्यनीज ऐक्ट, 1956 अधवा सोसाउटीज रिजर्देशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीवना सार्वजनिक उप्तमों/निगमों/उपक्रमों के ऑटिकिन्स आफ पसोसियोशन से सम्बन्धित अटिकन्य निया उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नियमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 क्षित्तर प्रदेश अधिनियम संस्था- ४१/१९७५ अस प्रदेश राधिनाय का प्रयोग करने हुए शासन के विधिन्त विमागों तथा सार्वजनिक निगमों/ उपक्रमों के मध्य अपन में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों के निराकरण एवं विस्तारण हेत्

on Irah

Brogin

निम्न सामात का गढ़न करते हैं

818	ममुत्र सांचयः सार्वजीयक उराप विभाग			
828	म्मुख सांच्य, वित्तं विभाग		7.* -	BEDRE
\$ 3 \$	सचिव, उद्योग विभाग		***	सदस्य
₹4.8	सचित्रं, व्यास विभाग	4	1000	सटस्य
552	सांख्य, सम्बंद्धन प्रशासकीय विद्याप			सदस्य
				32

क्षर स्थ रान्यपात महोदय एक भी निर्देश देते हैं कि विवादों को उका गोगीत का यन्दर्भित किया जायं तथा सांपति के अध्यक्ष समिति की बैठक वृताकर मन्द्रीमंत होने याने विवादों को निस्तारित करायेंगे। किसी भी उपक्रम निगम अथवा शासन के विभाग द्वार उपल सीमीत के अधिनर्गय के विस्ट पुनः किसी मधम न्यायालय में विकाद/मामला नहीं ते जाया जायेगा।

यदि प्रश्नात समिति के अभिनिर्णय से बर्धे निगम्/उपक्रम/ल्माग सन्तुष्ट न हो, तो निगम/उपकर्म/विभाग सासने स्थित प्रशासकीय कियाग दास विधाप्रकिया योत्र-प्रापट के समह प्रकाण की प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मौत्र-परिषट का अधवा धीट मित्र-परिषा दारा कोई गोमांक्क्रीपृष्टित की जाती है तो ऐसी सीमीत का निर्णय अन्तिम होगा।

कृषया पत्र की प्राप्ति स्वीन्तर करें एवं इसका अनुपत्तन तत्पाता एवं कड़ाउं से स्वितिपत कराया नाय।

भवदीय .

a डात विजय कृष्य सबसेना व मुन्य सांच्या

# संस्था-156\$1\$/44-2-156/91-92 तर्शदन्यक

\$23

प्रतिनिधि निमन को मुचनार्थ पर्व जानश्यक कार्यवाही है के प्राप्त निगर्मो/उपलगों के प्रकार निर्देशको/गुस्य नार्यकारी अनुस्कृति ार्बर्गानक उत्तर्भ व्यूची, जन्मकर महन, समनक से गुन्हुमीतयो रोहत। गार्वजीवक उत्तम अनुभाग<sub>ा</sub>

आसा भे

746. तं उम्मेश चन्द्र विकटी द 34/0/11

प्रमुख सांबद

ए वर्षे १८ के इन्हें अन्तर्भारेशन *नि*न

प्रेषक.

सी0बी0 पालीवाल प्रमुख सचिव. उ०प्र० शासन्।

सेवा में

निर्देशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ि सितम्बर, 2013

विषय – शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बरितयों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से आहरित कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-911/36/76/एक/2013-14, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मिलन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-37 से स्वीकृत कर शासनादेश संख्या—246/69—1—2013— 1(बजट)/2013, दिनांक 05 मार्च, 2013 द्वारा निदेशक, सूडा के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू० 5000.00 लाख में से संलग्न तालिका में उल्लिखित जनपदों की कुल 13 परियोजनाओं हेतु रू० 8027.52 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, संलग्न तालिका के स्तम्म-6 में अंकित प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् कुल रू0 4013.76 लाख (रू0 चालीस करोड़ तेरह लाख छिहत्तर हजार मात्र), को आहरित कर व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या—33 / 69-1-13-14(31) / 2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये

दिशा-निर्देश / व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।

प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—6 के अध्याय—12 के प्रस्तर—318 में 2. वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। 3.

उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रमाग/व्यय (वित्त) समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।

उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा. जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्घारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित ड्डा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वरत होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/ उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी

उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।

उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०,लखनऊ द्वारा प्रमुख 6. सचिव / सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी चन्मूलन कार्यकम विमाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा), उ०प्र०, इलांहाबाद को 7. आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के मीतर अवश्य उपलब्ध करा दी।

ক্ৰপ্য:.....2

8. स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए० में नहीं रक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों क किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सन् अनिवार्य विधिक प्रातिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा

निर्गत भासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्य वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

11. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 70 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण—पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमृश्त शासन को वापस करनी होगी।

12. निदेशक / सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने

लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेगें।

 उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

14. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम०ओ०य्०) निष्पादित किये जाने हेत् सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या—ई—8—3378/दस—2013, दि० ०६ सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

> भवदीय, (सी०बी० पालीवाल) प्रमुख सचिव

संख्या : (1)/69-1-2013, तद्दिनांक | प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद ।

निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।

 जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गोण्डा/कन्नौज/मिर्जापुर/ इटावा/कानपुर नगर/मुरादाबाद/लखीमपुर खीरी।

वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—8, उ०प्र० शासन।

नियोजन अनु0-4, उ०प्र० शासन।

मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।

सहायक वेब मास्टर, सूडा को विमागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।

10. गार्ड फाड्ल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से.

/ (देशराज) उपसचिव।

शासनादेश संख्या- 1359 / 69-1-13-09(आसरा) / 2013, दिनांकव

्अमस्त, 2013 का संलग्नक।

25.20				(घनराशि र	नाख रू० में)
क0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	आवासों की संख्या	परियोजना की कुल आवासीय लागत	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत के रूप में स्वीकृत की जाने वाली घनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	गोण्डा	गोण्डा	600	1776.00	888.00
2	कन्नौज	कन्नौज	84	248.64	124.32
		समधन	108	319.68	159,84
		समधन	72	213.12	106.56
		सिकन्दरपुर	120	355.20	177,60
3.	मिर्जापुर	अहरौरा	72	213.12	106,56
4.	इटावा	इटावा	108	319.68	159.84
5.	कानपुर नगर	न0पा0प0-घाटमपुर	840	2486.40	1243.20
6.	मुरादाबाद	ठाक्रद्वारा	348	1030.08	515.04
		न0पा0प0-बिलारी	12	35.52	17.76
		न०पं०-भोजपुर धर्मपुर	132	390.72	195.36
7.	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर	24	71.04	35.52
8.	लखीमपुर खीरी	न0पं0-बरबर	192	568.32	284.16
	योग			8027.52	4013.76

(रूपया चालिस करोड़ तेरह लाख छिहत्तर हजार मात्र)।

(देशराज) उपसचिव।